छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर

अधिसूचना

नवा रायपुर दिनांक 07-09-2021

क्रमांकः 1956/एफ 21/12/2019/13/2/ऊवि– यतः राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शवलीकरण हेतु निवेश प्रोत्साहन के लिए जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट दी जाये;

2/ अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (सन् 10 सन् 1949) की धारा 3–ख सहपठित औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र उद्योगों को, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित कालावधि के लिये विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है;

सारणी

(क) विद्युत शुल्क छूट हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–(6.4) में सम्मिलित विवरण के आधार पर सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र नवीन उद्योगों को 01 नवम्बर, 2019 से औद्योगिक नीति की कालावधि तक तथा विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योग के शवलीकरण पर 22 अक्टूबर, 2020 से औद्योगिक नीति की कालावधि तक विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगीः–

*(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा **मात्र नवीन उद्योगों के स्थान पर "पात्र नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योग के शवलीकरण"** हेतु लागू किया गया)*

(अ) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा /अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर को छोड़कर) उद्योगः–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–1 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 04 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब परिशिष्ट–1 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट

श्रेणी–स परिशिष्ट–1 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द परिशिष्ट–1 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीपः– कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों वालो उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

(ब) कोर सेक्टर की मध्यम, वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा उद्योग– इन नियमों में अन्यथा वर्णित नवीन पात्र इकाईयों को केवल स्वयं के खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा कोर सेक्टर के उद्योगों के "अ" एवं "ब" श्रेणी विकासखण्ड के उद्योगों के लिए भी विद्युत शुल्क घोषित करते हुए श्रेणी "स" एवं "द" विकासखण्ड के उद्योगों के लिए छूट की मात्रा एवं अवधि में वृद्धि की गई है।)

1	श्रेणी अ (परिशिष्ट–1 (अ))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्ण छूट
2	श्रेणी ब (परिशिष्ट–1 (ब))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक पूर्ण छूट
3	श्रेणी स (परिशिष्ट–1 (स))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट
4	श्रेणी द (परिशिष्ट–1 (द))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीपः–कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं वेस्ट हीट रिकवरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

(ख) औद्योगिक नीति, 2019–24 के परिशिष्ट–6.21 में सम्मिलित विवरण के आधार पर औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत "स्टार्टअप पैकेज" को दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से औद्योगिक नीति की कालावधि तक विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी हैः–

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा नवीन आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में समावेश किया गया है।)

क्षेत्र की श्रेणी	विवरण
श्रेणी अ (परिशिष्ट–1 (अ))	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब (परिशिष्ट–1 (ब))	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी स (परिशिष्ट–1 (स))	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी द (परिशिष्ट–1 (द))	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

(ग) औद्योगिक नीति, 2019–24 के परिशिष्ट–6.22 में सम्मिलित विवरण के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से औद्योगिक नीति की कालावधि तक स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर उद्योगों सहित) के नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शवलीकरण प्रकरणों में विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत् विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी हैः–

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा नवीन आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में समावेश किया गया है।)

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–1 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब परिशिष्ट–1 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–स परिशिष्ट–1 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द परिशिष्ट–1 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीपः–कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं वेस्ट हीट रिकवरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

3. उद्योगों की श्रेणियां (Categories of Industries)

3.1 राज्य में ''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' की दृष्टि से उद्योगों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम, मध्यम उद्यम, मध्यम सेवा उद्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, की श्रेणी में रखा गया है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से इन उद्योगों की परिभाषा वही मान्य ही जायेगी जो कि औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 के अंतर्गत वर्णित है।

3.2 "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" की दृष्टि से उद्योगों को उच्च प्राथमिकता उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, सामान्य उद्योग, कोर सेक्टर उद्योग, संतृप्त उद्योग के वर्गो में वर्गीकृत किया है तथा राज्य के सभी विकासखण्डों को औद्योगिक विकास एवं पिछडेपन की दृष्टि से क्रमशः अ, ब, स एवं द श्रेणियों मे वर्गीकृत किया गया है जो कि परिशिष्ट–1 (अ), परिशिष्ट–1 (ब) , परिशिष्ट–1 (स) एवं परिशिष्ट–1 (द) अनुसार है।

(औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 अ, ब, स एवं द अनुसार)

3.3 कोर सेक्टर के उद्योग से आशय है कि मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स अंतर्गत स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्युमिनियम संयंत्र।

(औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–5 अनुसार)

3.4 सामान्य श्रेणी के उद्योग से आशय है कि –उच्च प्राथमिकता उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग तथा कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योग।

3.5 (अ) औद्योगिक नीति में "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" की दृष्टि से उद्यमी/निवेशकों को निम्नांकित अनुसार वर्गीकृत किया गया है:–

1. सामान्य वर्ग के उद्यमी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी।
3. अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.) निर्यातक निवेशक, विदेशी तकनीक वाले उद्योग।
4. महिला उद्यमी एवं तृतीय लिंग।
5. राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, दिव्यांग (निःशक्त) उद्यमी।
6. राज्य के महिला स्वसहायता समूह को महिला वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधाएं प्राप्त होगी।
7. राज्य के एफपीओ (Farmers Pruducer Organisations) को सामन्य वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधाएं प्राप्त होगी।

3.5 (ब) निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग।
2. मध्यम उद्योग।
3. वृहद उद्योग।
4. अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स।

4. उपरोक्त छूट, निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन होगी:–

4.1 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पावर प्लांट के मामले में, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख के निर्धारण हेतु संस्थान को स्व–घोषित प्रमाण पत्र को ग्रिड कनेक्टिविटी के अनुसार राज्य के भार प्रेषण केन्द्र एवं पीजीसीआईएल के क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

4.2 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पावर प्लांट के मामले में छूट की पात्रता, ऑक्जलरी खपत तथा विद्युत नियम, 2005 में परिभाषित केप्टिव यूज में खपत की गई

बिजली की यूनिटों के आधार पर देय होगी। तदनुसार, संस्थान को केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित बिजली पर विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट हेतु कंपनी को प्रत्येक माह के लिये पृथक–पृथक खपत का विवरण मीटर रीडिंग सहित मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा।

4.3 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पावर प्लांट के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक इकाईयों के लिये वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख का निर्धारण वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य होगा।

4.4 विद्युत शुल्क भुगतान से छूट का आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के अथवा अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.5 औद्योगिक नीति 2019–24 में विनिर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

4.6 औद्योगिक नीति 2019–24 में विनिर्दिष्ट प्राथमिकता उद्योगों की सूची परिशिष्ट–3 में संलग्न है।

4.7 औद्योगिक नीति 2019–24 में विनिर्दिष्ट संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची परिशिष्ट–4 में संलग्न है।

4.8 औद्योगिक नीति 2019–24 में विनिर्दिष्ट कोर सेक्टर से संबंधित उद्योगों की सूची परिशिष्ट–5 में संलग्न है।

4.9 राज्य में 'स' एवं 'द' श्रेणी के पिछडें विकासखडों में राईस मिल/पारबाईलिंग इकाई की स्थापना को सामान्य उद्योग श्रेणी हेतु घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों की पात्रता होगी।

4.10 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.) निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ स्थापित करने वाले निवेशकों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को कंडिका–2 में दर्शित अनुसार, दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट दी जावेगी।

4.11 राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्तों को कंडिका–2 में दर्शित अनुसार, सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत से अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जावेगी।

राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति, 2019–24 में सम्मिलित परिशिष्ट–6.22 की उपकंडिका 6.22.4 में वर्णित अनुसार छूट दिनांक 22.10.2020 से उपलब्ध होगी।

4.12 यदि कोई निवेशक कंडिका 4.10 एवं 4.11 दोनों श्रेणी अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त लाभ हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के अतिरिक्त लाभ की पात्रता होगी।

4.13 नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन–भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हे अनुदान से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

4.14 राज्य में औद्योगिक/वाणिज्यिक भूमि पर लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना/पूर्व से स्थापित उद्यम में विस्तार करने पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायते की पात्रतानुसार होगी।

4.15 राज्य में "फिल्म उद्योग" के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में सामान्य लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी।

4.16 औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका (21) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा पृथक से परिभाषित/घोषित, उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सामान्य उद्योगों (उपरोक्तानुसार पैरा–2 की सारणी में दर्शित अनुसार) की भांति छूट की पात्रता होगी।

4.17 रू. 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के औद्योगिक नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद् में Bespoke Policy के अंतर्गत विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

4.18 जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों के द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत उद्योग के स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है उन्हे यह अवसर उपलब्ध होगा कि वे औद्योगिक नीति 2014–19 के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का विकल्प चुन सकेंगे। किंतु इस हेतु उन्हे उद्यम अकांक्षा/आई.ई.एम. जारी होने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्योग के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्योग के मामले में चार वर्ष, एवं अन्य उद्योगों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करना होगा। एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। विकल्प चयन न किये जाने की स्थिति में इकाई जिस नीति के कार्यकाल में उत्पादन में आएगी, उस स्थिति को लागू औद्योगिक नीति का लाभ लिए जाने की पात्रता होगी। विकल्प परिवर्तन की स्थिति में अथवा कोई विकल्प न लिए जाने की स्थिति में इकाई को पूर्व नीति के अंतर्गत प्राप्त किये गये लाभों को वापस किया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प चयन के लिए औद्योगिक नीति 2019–24 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अधिकतम 90 दिवस में विकल्प चयन की सूचना संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

4.19 औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत घोषित की गयी कंडिकाओं में वर्णित संस्थाओं को छोड़कर अन्य भारत शासन, राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों (यदि विशेष रूप से अन्यथा प्रावधानित न हो) को औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगे।

4.20 औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत घोषित किये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने लिए उद्यम में स्थाई नियोजन में अकुशल कर्मचारियों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्युनतम 70 प्रतिशत, तथा प्रशासकीय/प्रबंकीय कर्मचारियों के मामले में न्युनतम 40 प्रतिशत, रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4.21 यदि किसी निवेशक द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में प्रतिस्थापना हेतु पुर्वानुमति प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण कर उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, तो उसे औद्योगिक नीति 2019–24 की सुविधाएं दिनांक 1 नवंबर, 2019 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2024 तक उत्पादन में आने पर ही प्राप्त होगी। इसके पश्चात उत्पादन प्रारंभ होने पर आगामी औद्योगिक नीति के प्रावधान लागू होगें।

4.22 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएँ वही होगी जो औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 में दी गई है।

5. आवेदनों का निपटारा तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने की प्रक्रिया–

5.1 औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाई को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें उद्योग में निवेश के आकार, उद्योगों की श्रेणी, निवेशक के वर्गीकरण, उद्योगों के नवीन होने, शवलीकरण, बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन आदि से संबंधित न होने, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक आदि के संबंध में जानकारी अंतर्विष्ट होंगे।

5.2 उद्योग आयुक्त/संचालक अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, अनुशंसित आवेदन, जिसमें निवेशक का वर्गीकरण, इकाईयों की श्रेणी, उद्योग की स्थिति, निवेश की सीमा, वास्तविक निवेश, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख, विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता अवधि के विवरण अंतर्विष्ट होंगे, मुख्य विद्युत निरीक्षक को प्रेषित किये जायेंगे।

5.3 औद्योगिक इकाई, औद्योगिक नीति 2019–24 में अनुबद्ध प्रावधानों के अनुपालन में, राज्य के मूल निवासियों के लिए निर्धारित प्रतिशत तक उन्हें (अकुशल कर्मचारियों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्युनतम 70 प्रतिशत, तथा प्रशासकीय/प्रबंकीय कर्मचारियों के मामले में न्युनतम 40 प्रतिशत) नियोजित करेगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से निर्धारित अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए रोजगार के संबंध में, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात् आयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग तथा उद्योग केन्द्र अपनी अनुशंसा सहित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिवस के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक को प्रेषित करेगा। अपूर्ण अनुशंसित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.4 मुख्य विद्युत निरीक्षकालय अनुशंसित आवेदन का परीक्षण करेगा तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु ऊपर सारणी में दर्शायी गई कालावधि के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी करेगा।

5.5 मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में अनुबद्ध किसी भी शर्त अथवा औद्योगिक नीति 2019–24 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता निरस्त समझी जायेगी।

5.6 उपर्युक्त पैरा 5.5 में छूट हेतु पात्रता के रद्द किये जाने की दशा में, उद्योग को ब्याज सहित विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लाभ को राज्य कोषालय में ऐसी तारीख से जमा करना आवश्यक होगा जिससे उद्योग निर्योग्य हो गई हो। यदि उद्योग द्वारा ऐसे बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह भू–राजस्व के बकाया के रूप में प्रभारित एवं वसूल की जायेगी।

5.7 विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की सुविधा प्राप्त करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पात्रता प्रमाण जारी करने उपरांत मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में, ऐसे विषय का निराकरण छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के नियम 13 के अधीन राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और यह निर्णय, पक्षकारों पर अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

6 अपील / वाद

6.1 कण्डिका 5.1 से 5.3 में वर्णित अनुसार उद्योग विभाग द्वारा किए जाने वाले प्रकिया अर्थात उद्योग आयुक्त / संचालक अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुशंसित आवेदन जिसमें निवेशक का वर्गीकरण, इकाई की श्रेणी, उद्योग की स्थिति निवेश की सीमा, वास्तविक निवेश वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख जैसे कार्य हेतु किसी भी विवाद के मामले में उद्योंग विभाग द्वारा प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। इस हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अपील प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) प्रत्येक स्तर पर एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) प्रत्येक स्तर पर भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा। शुल्क का भुगतान उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ में विहित रीति के अनुसार किया जाना होगा।

निर्धारित समयावधि के पश्चात 90 दिवस की समयावधि के विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के विषय में आयुक्त / संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को यह अधिकार होगा कि ऐसे आवेदन पत्रों के विषय में अपरिहार्य परिस्थितियों में हुए विलंब को गुण–दोष के आधार पर शिथिल करने के विषय में निर्णय ले सकेंगे, किन्तु इस हेतु यह आवश्यक होगा कि उपरोक्त निर्णय के विषय में संपूर्ण विवरण लिपिबद्ध किया जाकर कारण दर्शाते हुए निर्णय पारित किया जाए।

निर्धारित समयावधि के पश्चात 91 दिवस से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम की समयावधि तक विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के विषय में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे आवेदन पत्रों विषयों में अपरिहार्य परिस्थितियों में हुए विलंब को गुण–दोष के आधार पर, को शिथिल करने के विषय में निर्णय ले सकेंगे, किन्तु इस हेतु यह आवश्यक होगा कि उपरोक्त निर्णय के विषय में संपूर्ण विवरण लिपिबद्ध किया जाकर, कारण दर्शाते हुए निर्णय पारित किया जाए।

एक वर्ष से अधिक विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र इन नियमों के अंतर्गत छूट हेतु पात्र नही होंगे।

6.2 कण्डिका 5.4 में वर्णित अनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा उद्योग संचालनालय/संचालक अथवा आयुक्त द्वारा अनुशंसित आवेदन के निर्णय पर ऊर्जा विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी।

6.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अपील प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) प्रत्येक स्तर पर एवं सूक्ष्य एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) प्रत्येक स्तर पर भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा। ऊर्जा विभाग के अपील प्रकरणों के संबंध में उपरोक्तानुसार अपील शुल्क ऊर्जा विभाग के संबंधित मद (0043–विद्युत पर कर एवं शुल्क–800–अन्य प्राप्तियॉ) में देय होगी।

6.4 ऊपर पैरा–6.1 एवं 6.2 अनुसार अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित अपीलीय अधिकारी को प्राप्त रहेगी। अपीलीय अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

7. औद्योगिक नीति, 2019–24 के ऐसे कंडिका जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नही है एवं पात्रताधारित उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने हेतु आवश्यक है वह कंडिकाएं इस अधिसूचना में प्रभावशील समझी जावेगी। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति, 2019–24 में संशोधन किये जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इस अधिसूचना में यथास्थिति लागू होंगे।

8. यह अधिसूचना दिनांक 01.11.2019 से प्रभावशील होगी तथा औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत 01.11.2019 को/के पश्चात् तथा 31.10.2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले पात्र उद्योगों पर लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/9/21

(अंकित आनंद)
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

पृ0क्रमांकः 1957/एफ–21/12/2019/13/2/ऊवि नवा रायपुर, दिनांक 07.09.2021

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्रीजी, भारसाधक मंत्री, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
6. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।

7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज, डंगनिया, रायपुर।

——— सरल क्रमांक 1 से 7 की ओर सूचनार्थ।

8. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
9. मुख्य विद्युत निरीक्षक, संचालनालय, इंद्रवती भवन, नवा रायपुर।
10. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर।

———सरल क्रमांक 8 से 10 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, रायपुर।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, रायपुर।
14. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ शासन, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

6/9/21

विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

परिशिष्ट–1 (अ)

{औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (अ) अनुसार श्रेणी–अ (विकसित क्षेत्र–15)}

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	बिलासपुर	बिल्हा
2.	कोरबा	कोरबा, पाली
3.	रायगढ़	रायगढ़, खरसिया
4.	दुर्ग	दुर्ग, धमधा
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
6.	रायपुर	धरसींवा, तिल्दा
7.	जांजगीर–चांपा	अकलतरा, बम्हिनीडीह (चांपा)
8.	बलौदाबाजार–भाटापारा	भाटापारा, सिमगा, बलौदाबाजार

परिशिष्ट–1 (ब)

{औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (ब) अनुसार श्रेणी–अ (विकासशील क्षेत्र–25) }

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	कोरबा	कटघोरा, करतला, पोड़ी–उपरोड़ा
2.	मुंगेली	पथरिया, मुंगेली
3.	रायगढ़	घरघोड़ा, तमनार, पुसौर
4.	दुर्ग	पाटन
5.	कवर्धा	कवर्धा, पण्डरिया
6.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खैरागढ़
7.	बलौदाबाजार	पलारी
8.	धमतरी	धमतरी, कुरूद, मगरलोड़
9	महासुमंद	महासमुंद, सरायपाली, बागबहरा
10	रायपुर	अभनपुर, आरंग
11	बिलासपुर	तखतपुर, मस्तूरी

परिशिष्ट–1 (स)

{औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (स) अनुसार श्रेणी–अ (पिछडे क्षेत्र–40)}

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	मुंगेली	लोरमी
2.	बालोद	गुंडरदेही, गुरूर, बालोद, डौंडीलोहारा, डौंडी
3.	बेमेतरा	बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़
4.	कवर्धा	बोड़ला, सहसपुर–लोहारा
5.	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़, कसडोल
6.	धमतरी	नगरी
7.	गरियाबंद	छुरा, गरियाबंद, फिगेश्वर
8.	महासमुंद	बसना, पिथौरा
9	कांकेर	कांकेर, चरामा
10	बिलासपुर	कोटा, पेण्ड्रा रोड (गौरेला–1), पेण्ड्रा (गौरेला–2)
11	जांजगीर–चांपा	बलौदा, नवागढ़, सक्ती, जैजेपुर, मालखरौदा, डभरा, पामगढ़
12	रायगढ़	धरमजयगढ़, लैलूंगा, सारंगढ़, बरमकेला
13	राजनांदगांव	छुईखदान
14	बस्तर	जगदलपुर
15	सरगुजा	अम्बिकापुर
16	सूरजपुर	सूरजपुर

परिशिष्ट–1 (द)

{औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (द) अनुसार श्रेणी–अ (अति पिछडे क्षेत्र–66)}

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्डों के नाम
1.	बस्तर	बाकावण्ड, बस्तानार, दरभा, लोहण्डीगुडा, बस्तर, तोकापाल
2.	बीजापुर	बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, उसूर
3.	दंतेवाड़	दंतेवाड़ा, गीदम, कटेक्ल्याण, कुआंकोण्डा
4.	कांकेर	अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोण्डल, नरहरपुर, कोयलीबेड़ा
5.	कोण्डागांव	केशकाल, कोण्डागांव, बड़ेराजपुर, माकडी, फरसगांव
6.	गरियाबंद	देवभोग, मैनपुर
7.	नारायणपुर	नारायणपुर, आरेछा (आबुझमाड़)
8.	सुकमा	कोंटा, छिंदगढ़, सुकमा
9	बिलासपुर	मरवाही
10	राजनांदगांव	मोहला, छुरिया, अंबागढ़–चौकी, मानपुर
11	बलरामपुर	बलरामपुर, कुसमी, राजपुर, रामचंन्द्रपुर, शंकरगढ़, वाड्रनगर
12	जशपुर	जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला, मनोरा, कांसाबेल, फरसाबहार
13	कोरिया	मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर, भरतपुर, खड़गवा, सोनहत
14	सरगुजा	लुण्ड्रा, सीतापुर, बतौली, लखनपुर, मैनपाट, उदयपुर
15	सूरजपुर	प्रतापपुर, प्रेमनगर, भैयाथान, ओड़गी, रामानुजनगर

औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची–

(औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–2 के अनुसार)

1. हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग।
2. आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स
3. फार्मास्यूटिकल उद्योग
4. व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पादन।
5. रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिक के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद।
6. जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद।
7. टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम फेब्रिक्स एवं रेडीमेड गारमेंट्स व अन्य प्रक्रिया) (नॉन ओवन फेब्रिक बैग्स को छोड़कर)

   (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के द्वारा टेक्सटाईल उद्योग की प्रविष्टि को उपरोक्तानुसार संशोधित किया गया है।)
8. रेल्वे, अंतरिक्ष, रक्षा संस्थानों/विभागों, दूरसंचार एवं विमानन कंपनियों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स।
9. निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीक से विदेशी कंपनी एवं भारतीय कंपनियों के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले उद्योग।
10. निर्यातक उद्योग।
11. जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाइनरी (मार्कफेड से खरीफ फसल के उपार्जित अतिरिक्त धान क्रय किये जाने की शर्त पर तथा सहकारी शक्कर कारखानों आधारित)

    11.1 मार्कफेड से खरीफ फसल के उपार्जित अतिरिक्त धान कय किये जाने की शर्त के आधार पर स्थापित जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाईनरी,

    11.2 राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों के उत्पाद/उपोत्पाद के आधार पर स्थापित जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाईनरी,

    11.3 राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों के उत्पाद/उपोत्पाद के आधार पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में स्थापित जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाईनरी,

    11.4 निजी निवेश से स्थापित, समर्थन मूल्य पर खरीद की शर्त पर, गन्ना आधारित जैव ईंधन/एथेनॉल हेतु रिफाईनरी,

    (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 30 जुलाई, 2020 के द्वारा अनुकमांक 11.1 से 11.4 तक प्रविष्टियां जोड़ी गई।)
12. इलेक्ट्रिक दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन एवं उनके बैटरी निर्माण।
13. इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के उपकरण निर्माण
14. एयरोस्पेस, एयरक्राफ्ट रिपेयर (एम आर ओ)
15. राज्य में उत्पादित फल, फूल, सब्जी एवं अन्य हार्टीकल्चर उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग
16. भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयां (प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी)

17. ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जावें।
(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के द्वारा अनुक्रमांक 16 पर नई प्रविष्टी को जोड़ा गया एवं अनुक्रमांक 16 की प्रविष्टी को अनुक्रमांक 17 पर प्रतिस्थापित किया गया।)

टीपः–1. उच्च प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा में उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा।

2. यदि किसी उद्योग द्वारा उच्च प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत प्राथमिकता उद्योगों की सूची–

(औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–3 के अनुसार)

(अ) वर्गीकरण के आधार पर–

1. साईकिल एवं साईकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पादन/उपकरण/स्पेयर्स
2. प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
3. नॉन फेरस मेटल पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद।
4. एल्यूमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद।
5. भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल पेडी परबायलिंग एण्ड क्लीनिंग, हालर मिल, मुरमुरा मिल तथा राईस ब्रान साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट एवं खाद्य तेल की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी को छोड़कर)
6. ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
7. नवीन एवं नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण।
8. विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण।
9. जेम्स एवं ज्वेलरी
10. मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
11. स्पोर्टस गुड्स
12. कोयले से द्रव्य ईंधन/गैस/पेट्रोलियम उत्पाद
13. ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जावें
14. जैविक खाद, जैविक कीटनाशक एवं बोनमील का निर्माण।

टीप– 1. प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा।

2. यदि किसी उद्योग द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

(ब) उत्पाद आधारित

1. मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी.व्ही.सी पाईप्स एवं फिटिंग, हाऊस होल्ड प्लास्टिक के आयटम
2. ट्रांसमिशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्टस/उपकरण
3. स्व–चलित कृषि यंत्र, ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स/एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स
4. बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)
5. लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)
6. फलाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)

7. रेडीमेट गारमेंट्स (जिनमें यंत्र एवं संयंत्र में न्यूनतम 25 लाख रूपयों का पूंजी निवेश हो)
8. सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स
9. वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
10. कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स
11. फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, ग्रेनाईट, पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, मार्बल पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, अन्य मिनरल राक की कटिंग एवं पॉलिशिंग तथा टाईल्स निर्माण
12. पोलिस्टर स्टेपल फाईबर
13. ग्रामोद्योग इकाईयां यथा पेन निर्माण, झालर निर्माण, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, पशु आहार, साबून एवं वाशिंग पावडर, फिनाईल, स्कूल बैग, सीएफएल बल्ब, स्टील विंडो/डोर/रोलिंग शटर्स एवं अन्य जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश 10 लाख रूपये।
14. सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 10 लाख)
15. वूडन सिजनिंग एवं केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश में रूपये 25 लाख हो)
16. हैंड पंप एवं स्पेयर्स का निर्माण
17. सबमर्सिबल पंप एवं स्पेयर्स का निर्माण
18. इलेक्ट्रिक मोटर एवं स्पेयर्स का निर्माण
19. ग्रेन साइलो
20. प्रीफेब्रीकेटेड बिल्डिंग सामग्री
21. पेन्ट/डिस्टेम्पर
22. पोहा, मुरमुरा
23. नान प्लास्टिक बैग्स
24. ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं

टीपः-1. प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा।

2. यदि किसी उद्योग द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद के साथ अन्य किसी श्रेणी के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न उत्पाद श्रेणी (दोनों में से जो निम्न हो) के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची

(औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–4 के अनुसार)

(औद्योगिक नीति की कंडिका 16.1 के अंतर्गत वर्णित परिभाषाओं के बिन्दु क्रमांक–15 के संदर्भ में)

1. विलोपित
   (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 01.06.2020 के द्वारा अनुक्रमांक 1 पर वर्णित ***एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बैवरेजेस*** *को विलोपित किया गया।)*
2. आरा मिल (सॉ मिल)
3. सभी प्रकार के पोलिथिन बैग, प्लास्टिक के डिस्पोजल उत्पाद,
4. पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
5. स्लाटर हाउस (बूचड खाना)
6. पैक्ड ड्रिकिंग वाटर
7. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
8. चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाइट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
9. एस्बेस्टस एवं उस पर आधारित उद्योग
10. लेदर टैनरी
11. स्पंज आयरन (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
12. एकीकृत स्टील प्लांट (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
13. तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
14. स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
15. राईस मिल एवं परबॉईलिंग इकाई (केवल "अ" एवं "ब" श्रेणी के विकासखण्डों के लिए)
16. सभी प्रकार के उत्पादों की रिपैकिंग।
17. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

टीपः– संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत कोर सेक्टर उद्योगों की सूची

(औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–5 के अनुसार)

''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन' की दृष्टि से निम्नांकित मध्यम, वृहद / मेगा / अल्ट्रा प्रोजेक्ट्स कोर सेक्टर की श्रेणी के उद्योगः–

1. स्टील संयंत्र
2. सीमेंट संयंत्र
3. ताप विद्युत संयंत्र
4. एल्युमिनियम संयंत्र

टीप– औद्योगिक नीति 2019–24 के अवधि में ''स'' एवं ''द'' श्रेणी विकासखण्डों में प्रस्तावित एवं स्थापित किये जाने वाले कोर सेक्टर के नवीन उद्योगों को इस नीति में अन्यथा कोई अपात्रता न होने की स्थिति में मात्र स्टाम्प शुल्क से छूट, विद्युत शुल्क से छूट एवं दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान उत्पादन दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए की पात्रता होगी।

संशोधन – दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से जारी स्पष्टीकरण / संशोधन –

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक नीति की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01 / 2019 / 11 / 6 दिनांक 31.10.2019 के परिशिष्ट–5 में वर्णित टीप की अंतिम पंक्ति " स्टाम्प शुल्क से छूट, विद्युत शुल्क छूट की पात्रता इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित अनुसार तथा दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान के मामले में उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये पात्रता होगी।

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–20–01 / 2019 / 11 / (6) नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधित टीप को समावेशित किया गया है।)